Form No 111
फर्म अहकाम
(नियम 15)

[illegible]लत:– उपखण्ड अधिकारी मुकाम.:– राजाखेडा

[illegible] बनाम कम्मोदा वगै0

[illegible] मुकदमा:– प्रार्थना पत्र **U/S 212 RTA** नम्बर........................................सन्......................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.05.2022 | प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं वकील सायल को सुना गया। प्रथम दुष्टया केस एंव सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है।<br>अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैर सालयान दिनांक 27.06.2022 तक के लिए जारी कर गैर सायलान को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1033, 1034, 1035, 1036, 1116, 1117, 1118 स्थित ग्राम बाजना तहसील राजाखेडा पर उक्त दिनांक तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें तथा सायलान के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें। यदि इस संबंध में उन्हे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 27.06.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करे। तहसीलदार राजाखेडा को वास्ते तामील परवाना जारी हो। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.06.2022 को पेश हो।<br>[signature] | |
| 20/6/22 | पत्रावली में मूल वाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधारपर पूर्व में खारिज किया जा चुका है। अतः मूल वाद के खारिज होने की रोशनी में यह प्रार्थना पत्र 212 RTA भी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>राजाखेड़ा | रामोतार<br>[signature]<br>20/6/22 |